

G.A.3
20/6/12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No..... of 2012

Pulkit Thakur.....Petitioner

Versus

The State of Bihar & Others.....Respondents

Sub-Retirement Benefit Matter (Non Gazetted)

INDEX

<u>Sl No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1.	Writ application with affidavit.	1-12
2.	Annexure 1:- A photocopy of the order of D.M., Madhepura dated 12-07-2011.	13-15
3.	Annexure 2 :- A photocopy of the Government notification dated 26-02-2004.	16-17
4.	Annexure 3:- A typed copy of representation dated 11-05-2012.	18
5.	Annexure 4:- A photocopy of the representation dated 17-04-2012 to the C.O., Kumar Khand.	19
6.	Vakalatnama	

SYNOPSIS

The petitioner is a retired Government servant. He was posted in the office of Circle Officer, Kumar Khand Block(Madhepura) in the post of Upper Division Clerk. He retired from the above noted post w.e.f 31-07-09.

31-07-09 date of retirement.

Prior to retirement the petitioner had submitted all his pension paper in the department but till now he is not getting the provisional pension yet. The D.M., Madhepura had also passed general order in light of judgment of Hon'ble High Court, Patna in which it has been stated that the petitioner who was earlier pex manager was absorbed in the post of Lower Division Clerk in the scale of Rs. 3050-4590 and later on the petitioner had been promoted in the post of Upper division Clerk in the scale of Rs. 4000-6000.

12-07-2011, order of the D.M., Madhepura(Annex. 1)

There was government notification issued on 26-02-2004 in which it has been stated that pex manager will be absorbed in the Lower Division Clerk and there service period will be counted accordingly. And it has also been stated they are treated as Upper Division Clerk in the scale of Rs. 4000-6000. But it is a matter of surprise that the petitioner is not getting the due salary i.e. difference amount of increased salary.

26-02-2004, Government notification(Annex. 2)

The petitioner after retirement had filed representation before the Circle Officer as well as the District Magistrate, Madhepura but in spite of that no steps have been taken by the authority concern in this respect.

17-04-2012, Representation to the C.O.

11-05-2012, Representation to D.M., Madhepura

The petitioner is legally entitled for the following items of his retirement benefit:-

- A) Amount of provident fund. < few amount is still pending
- B) Amount of gratuity.
- C) Amount of increased salary of Upper Division Clerk(arrear amount).
- D) Amount of leave encashment.
- E) Amount of due salary w.e.f 01-04-07 as per 6th pay revision(difference of amount).
- f) Fixation of pension according to new scale.

The petitioner is still not getting the above noted retirement benefits. He is on the verge of starvation.

Hence this writ petition is being filed.

DEPARTMENT OF POST
BIHAR CIRCLE

COURT FEE

AUTH NO. 3185 DT. 5/12/2012



STAMP DUTY

00000

0000285

Ka3/2403

Zero*Zero*Zero*Zero*Two*EightFive

बिहार
JUDICIAL

520/111

BIHAR

7171 5331904

Through:- Dava Moha Kp Distt. A.P. 01558

for

D. 01558

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No..... of 2012

In the matter of an application
under Article 226 of the
constitution of India;

And

In the matter of :

Pulkit Thakur, S/o Late Moti Thakur, R/o Village:- Baijnathpur, P.O:-
Baijnathpur, P.S:- Baijnathpur, via Bihariganj, Distt:-Madhepura.

.....Petitioner

Versus

2

1. The State of Bihar.
2. The District Magistrate, Madhepura, Circle Officer, Kumar Khand, Madhepura.
3. The Accountant General, Bihar, Patna.
4. The Circle Officer, Kumar Khand Block, Madhepura.
5. The Treasury Officer, Madhepura

.....Respondents

To,

The Hon'ble Justice Ms. Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justice of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of
petitioner above named.

Most respectfully sheweth:-

1. That, the petitioner seek indulgence of this Hon'ble Court under article 226 of the constitution of India for the following reliefs:-

3

- I) For issuance of a writ of or in the nature of writ of Mandamus directing the respondent no. 2 to pay the petitioner his retirement benefits, amount of provident fund, amount of gratuity, amount of leave encashment, amount of arrear due as per sixth pay revision and amount of arrear salary in the scale of Rs. 4000-6000.

- II) For issuance of a writ of or in the nature of writ of Mandamus directing the respondent no. 2 to pay 75% as provisional pension to the petitioner till disposal of the case or till fixation of the final pension.

- III) For any other appropriate writ/writs, order/orders, command/commands, direction/directions, which your Lordships may deem fit

4

and proper on the facts and circumstances
of the case.

2. That, the petitioner has not come before this Hon'ble Court earlier
in this matter.

3. That, the aforesaid reliefs are being sought for on the following
grounds:-

1) For that, the petitioner has retired from the
post of Upper Division Clerk from the office of
Circle Officer, Kumar Khand Block w.e.f 31-07-
09. Prior to retirement he had filed all the
relevant papers in respect to his retirement
benefit etc. but till now the petitioner is not
getting his retirement benefit. This action of
respondents is quite improper in the eye of
law.

5

II) For that, more than 3 years have been passed but even provisional pension is not being given to the petitioner. Due to this, the petitioner is in the verge of starvation. This shows that the action of the respondents is against the principal of natural justice.

III) For that, the petitioner after retirement had filed representations before the District Magistrate, Madhepura, C.O., Kumar Khand for his grievances but they are still sitting ideal.

IV) For that, other points will be argued at the time of hearing of this case.

4. That, the petitioner, retired from the post of Upper Division Clerk w.e.f 31-07-09. He was posted at Kumar Khand under circle officer,

6

Kumar Khand Block, Madhepura. During course of service he had done his duty honesty and sincerely.

5. That, it is relevant to mention herewith that about 3 years have been passed but till now he is not getting pension as well as other retirement benefits, which he is legally entitled.


6. That, the petitioner was appointed in the post of Lower Division Assistant and later on he had come in the rank of Upper Division Clerk in the scale of Rs. 4000-6000. It is stated in the order of D.M., Madhepura that this scale will be given to him from the date of his appointment. Prior to that the petitioner was appointed in the post of Pax Manager on 20-12-2000 in the scale of Rs. 3050-4590 and later on the order of D.M., Madhepura, the petitioner was absorbed in the post of Lower Division Clerk in the same scale w.e.f 03-01-04 and after that he was promoted in Upper Division Clerk on the scale of Rs. 4000-6000.

7

A photocopy of the order of D.M.,
Madhepura dated 12-07-2011 is
annexed herewith and marked as
annexure 1 which forms part of the
petition.

7. That, according to sixth pay revision, which was enforced w.e.f 01-04-07, the petitioner is entitled for the arrear of the salary (difference amount of 6th pay revision).
8. That, the petitioner, as per Government notification dated 26-02-2004, is entitled for his pension because it is apparent from the notification that he has completed ten years in service and the cabinet has passed such notification bearing notification memo no. 12 dated 05-01-04.

A photocopy of the Government
notification dated 26-02-2004 is
annexed herewith and marked as



annexure 2 which forms part of the
petition.

9. That, the petitioner is legally entitled for the following items in respect to his retirement benefits:-

- A) Amount of provident fund.
- B) Amount of gratuity.
- C) Amount of increased salary of Upper Division Clerk(arrear amount).
- D) Amount of leave encashment.
- E) Amount of due salary w.e.f 01-04-07 as per 6th pay revision(difference of amount).
- F) Fixation of pension according to new scale.

10. That, the petitioner have filed representation before the District Magistrate, Madhepura to pay his retirement benefit and also he had prayed for fixation of provisional pension till fixation of final pension but that has not been done yet.

A typed copy of representation dated 11-05-2012 is annexed herewith and marked as annexure 3, which forms part of the main petition.

11. That, the petitioner had submitted all his pension papers in the department along with calculation chart which was prepared by the circle officer, Kumar Khand. A copy of the same was also sent to the Accountant General, Bihar (Pension Branch) for final approval but till now nothing has been done by the department yet.
12. That, the petitioner has come to know that the department had sent letter to the treasury officer as well as in the accountant general office for payment of his provisional pension but nothing has been done yet.
13. That, the petitioner was suffering from the decease Kalajar and was

10

admitted in the PMCH, Patna. He is also suffering from cardiac problem but due to lack of amount he couldn't get him examine by the expert doctors out of state. In this respect the petitioner has filed representation before the circle officer, Kumar Khand for payment of his retirement benefit at earliest, so that he may able to get him treated in New Delhi.

A photocopy of the representation dated 17-04-2012 to the C.O., Kumar Khand is annexed herewith and marked as annexure 4 which forms part of the petition.

14. That, the petitioner had been absorbed from the post of Lower Division Clerk to Upper Division Clerk in the scale of Rs. 4000-6000 but the said increased amount is not being given to the petitioner yet. For which the petitioner had personally concocted his circle officer but no fruitful result has come.

11

15. That, in the circumstances, the petitioner has no other alternative of efficacious remedy than to move before the Hon'ble High Court and the reliefs prayed herein if granted would afford him complete economical and speedy relief.

It is, therefore, humbly prayed that your Lordships may graciously be pleased to issue a rule NISI, for a writ of or in the nature of writ of mandamus calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs prayed for in paragraph 1 of this petition be not granted.


And

Upon return of the writ and the rules and perusing such causes as may be shown and after hearing counsel for the parties the writ and the rule be made absolute.

And/or

Pass such other appropriate writ/writs order/orders, command/commands, direction/directions which your lordships may deem fit and proper.

And for this petitioner shall ever pray.



12

AFFIDAVIT

I, Pulkit Thakur, aged about 64 years, S/o Late Moti Thakur R/o Village:- Baijnathpur, P.O:- Baijnathpur, P.S:- Baijnathpur, via Bihariganj, Distt:- Madhepura, do hereby solemnly affirm and states as follows:

1. That, I am petitioner in this case and as am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That, the contents of the petition and affidavit have been read explained to me in Hindi which are true to my knowledge.
3. That, the statement made in paragraph no. 1, 5, 7, 11, 12 & 14 are true to my knowledge, those made in paragraph no. 6, 8 to 10, 13, ... are true to my information derived from the records rests are by way of submission to this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true copies of their originals.

y en 43/2/20

समाहरणालय, मधेपुरा।

(स्थापना शाखा)

-: आदेश:-

Amendment

10
85

1. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-2312/91 में पारित आदेश दिनांक-01.12.1994 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सिविल अपील संख्या-7357/96 में पारित आदेश दिनांक-20.08.1998 के अनुपालन में सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-805, दिनांक-08.03.2000 द्वारा सहकारिता प्रबंधकों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था।

2. उक्त न्याय निर्णय के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा विशेष परीक्षा आयोजित कर सफल उम्मीदवारों की सूची सहकारिता विभाग को भेजी गई।

3. निबंधन, सहयोग समितियों, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-1671, दिनांक-04.04.2002 एवं आयुक्त, कोशी प्रगंडल, सहरसा के पत्रांक-562/स्था०, दिनांक-12.06.2002 एवं 1052, दिनांक-23.12.2003 में निहित निदेश के आलोक में विभिन्न तिथियों में कुल 33 निम्न उम्मीदवारों की नियुक्ति निम्न वर्गीय लिपिक के वेतनमान 3050-4590 में की गई थी।

क्र०	पत्रांक, दिनांक	नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक का नाम
1	302-2, दिनांक-24.07.2002	1. श्री मैथिली शरण पांडेय 2. श्री शिव मंगल सिंह
2	312-2, दिनांक-30.07.2002	1. श्री रघुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव
3	319-2, दिनांक-02.08.2002	1. श्री नन्दू वैठ 2. श्री धनंजय दूबे 3. श्री गुलाब चन्द दास 4. श्री राम नारायण हाजरा 5. श्री छेदी लाल चौधरी 6. श्री चन्द्रभूषण मिश्र
4	341-2, दिनांक-26.08.2002	1. श्री विजय शंकर दूबे 2. श्री चित्रसेन सिंह 3. श्री चन्द्रमा सिंह 4. श्री जपेन्द्र नारायण सिंह 5. श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह

4/2/11
22-8-11

14

5	364-2,दिनांक-02.09.2002	1.श्री शोभाकांत झा 2.श्री गणेश नारायण झाँ
6	203-1,दिनांक-04.09.2002	1.श्री उमेश कुमार
7	490-2,दिनांक-22.11.2002	1.श्री तेज नारायण मेहता 2.श्री चन्द्रदेव राम. 3.श्री शशिभूषण प्रसाद
8	15-2,दिनांक-18.01.2003	1.श्री राज किशोर प्रसाद
9	04-2,दिनांक-03.01.2004	1.श्री रामनंद मेहता 2.श्री भीखा राम 3.श्री महेन्द्र राम 4.श्री ब्रह्मदेव शर्मा 5.श्री महेन्द्र पंडित 6.श्री पुलकित ठाकुर 7.श्री महेन्द्र प्रसाद मेहता 8.श्री जवाहर प्रसाद यादव 9.श्री नंदकिशोर यादव 10.श्री चन्द्रिका प्रसाद 11.श्री विजय चन्द्र 12.श्री लाल बाबू राय

4.इस बीच सरकार के प्रधान सचिव,सहकारिता विभाग,बिहार,पटना के आदेश ज्ञापक-3814,

दिनांक-13.07.2010 से मार्गदर्शन/निर्देश प्राप्त हुआ है,जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है:-

5.".....विधि विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय,पटना के आदेशानुपालन में सहकारिता प्रबंधकों के लिए आयोजित विशेष परीक्षा में सफल वैसे उम्मीदवारों,जिनकी नियुक्ति पृथक्कीकरण की तिथि अर्थात् 20.12.2000 के पश्चात् निम्न वर्गीय लिपिक के वेतनमान 3050-4590 में विभिन्न विभागों के अधीन की गई है,को उनकी नियुक्ति की तिथि से ही उच्च वर्गीय लिपिक वेतनमान 4000-6000 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार संबंधितों को दकया वेतनादि का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाय।"

17
15
6. उल्लेखनीय है कि इस जिले में नियुक्त सभी 33 उम्मीदवारों (पैग्रा पदधर्मों) की नियुक्ति दिनांक-20.12.2000 के बाद निम्न वर्गीय लिपिक के वेतनमान 3050-4590 में की गई है।

7. अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में सरकार के प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-3814, दिनांक-13.07.2010 के आलोक में कंडिका-3 में (उपर वर्णित) वर्णित सभी शिग्न वर्गीय लिपिक को उनके योगदान की तिथि से उनके पूर्व के वेतनमान 3050-4590 में परिवर्तित करते हुए उच्च वर्गीय लिपिक के वेतनमान 4000-6000 में वेतन निर्धारण करने एवं भुगतान करने (बकाया सहित) की रवीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि अगर सरकार या मागनीय व्यायालय का इस आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिकूल आदेश प्राप्त होता है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जाएगी।

सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त शर्तों की घोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही वेतन के निर्धारण/भुगतान की कार्रवाई करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

—
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 393/स्था 0, मधेपुरा, दिनांक 12/7/11।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित लिपिकों को सूचनार्थ प्रेषित।

—
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

Annex-2 11-16

1177
12-3-94

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
संकल्प

16/11/94
11/12/94
12/12/94

विषय- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में विभिन्न जिला सवर्ग सहयोग समितियों के अधीन कार्यरत प्रबंधकों/वेतनभोगी प्रबंधकों को सरकारी सेवा में तृतीय वर्ग में समायोजित करते समय पूर्व की सेवा में विराई गई आयु के आधार पर वरीयता निर्धारण के संबंध में।

प्राथमिक कृषि साखी समितियों (गैरशर्त) के वेतन भोगी प्रबंधकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी०डब्लू० जे० सी० संख्या 2312/91 दायर कर उन्हें सरकारी सेवा में समायोजित करने हेतु प्रार्थना की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01/12/94 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका/सिविल अपील सं०-7357/96 दायर किया गया। इस याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.8.98 को निम्न आदेश पारित किया गया।

"A reasonable number of post available-including even there in the process of recruitment be set apart for being filled up by the respondents. A separate recruitment list/examination be held. After taking such examination(s) the eligible respondents may be absorbed subject to reasonable conditions as to their past service, seniority and pension."

- 2- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन में सरकारिता विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद से अनुमोदन लेकर संकल्प सं०-805 दिनांक 8.3.2000 निर्गत किया गया। प्रकल्प में किये गये प्रावधान के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीन सीमित प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की गईं। परीक्षा में सफल वेतन भोगी प्रबंधकों की सरकारी सेवा में नियुक्ति लगभग की जा चुकी है।
- 3- सिविल अपील सं०-7357/96 से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर अवमाननावाद 27/03 में अप्रैल 2003 एवं 2.12.03 को सुनवाई के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई थी कि 20.8.98 को पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं हुआ है। अतएव मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त संकल्प शापांक 12 दिनांक 5.1.04 से वैसी प्रबंधक जो सरकारी सेवा में आने के उपरान्त पेंशन हेतु निर्धारित न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी नहीं कर पाते हैं की भी 10 वर्षों की सेवा मानकर न्यूनतम पेंशन अनुमान्य किया गया है।
- 4- आलोच्य अवमाननावाद (27/03) की सुनवाई दिनांक 16.2.04 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई। इस अवमाननावाद में सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 24/03/2003 दायर कारण-पृच्छा की कंडिका-13 एवं 14 में स्पष्ट किया गया था कि इन सफल वैतन प्रबंधकों की वरीयता उनके द्वारा दी गई सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित मेधा सूची में प्राप्त स्थान के अनुसार होगा। मुख्य सचिव, सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, स०स०, बिहार, पटना की स्थिति में न्यायालय द्वारा इसे अमान्य करते हुए मौखिक आदेश दिया गया कि नियुक्ति संबंध में कार्यरत कर्मचारियों के बीच उनकी वरीयता पेंशन प्रबंधक के रूप में की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए की जाए एवं अगली तिथि के पूर्व प्रति-शपथ पत्र दायर की जाए।

11/5/2011

शका ॥

Annex-3

18

भीमान् (अध्यक्ष) / ग. को. प्र. १

विषय:— औपवांछित पेंशन निर्धारण कर भुगतान करने के संबंध में ।

सारांश :-

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं दिनांक 12-01-2004 को विहार लोक सेवा आयोग के तृतीय परीक्षा के आधार पर अंचल कार्यालय कुमारखण्ड में लिपिक के पद पर भोगदान किया ।

दिनांक 21-01-2009 को इसी कार्यालय से सेवा निवृत्त हो गया हूँ । करीब 20 (बीस) माह बीतने के बावजूद भी मुझे औपवांछित पेंशन का निर्धारण एवं भुगतान नहीं हुआ है । जिसके कारण मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है ।

मैं 10-10 माहों से कालाजार से पीड़ित हूँ । फिलहाल पीएमडीएच पटना में भर्ती होकर इलाज करा रहा हूँ । तथा न्यूनो किराने से असमर्थ हूँ ।

अतः भीमान् से निवेदन है कि अंचल अधिकारी कुमारखण्ड से मेरा औपवांछित पेंशन का निर्धारण कर भुगतान करने का, ग्रेजुएटों का लाभ एवं सेवा पुस्तक अध्यापन कर गलियारा निर्धारण से सत्यापित कराने का आदेश देने कि कृपा की जाय । ताकि सेवान्त लाभ का भुगतान हो सके ।

सलहना पत्रों का अल लोकाचार्य

- (1) आषाढ - 12 35 पटना दिनांक 26-02-2004
- (2) पषाढ - 12 - पटना दिनांक 05-01-2004
- (3) कीट्ट पत्र पटना में भर्ती का प्रवेश पत्र

भीमान् का विश्वाधराजन

प्रति 21/05/11

10-05-2011
सेवा निवृत्त अंचल सहायक कुमारखण्ड
गळेरुस

सेवा में

डी.पी. अधिकारी,

Annex 4 / 19

कुमारगढ़

विषय: सेवाओं का सुगमता के संबंध में
महाराज

साहब विवेकानंद सर्वेक कहना है कि मैं आवदीय के कार्यालय से दिनांक 31.07.2009 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ मुझे सेवानिवृत्त हुए करीब तीन वर्ष पूर्ण हो गये हैं। किन्तु आज तक मुझे पेंशन/उपादान/पुनरीक्षण वेतन का कदापि सुगमता तथा उत्कृष्ट वेतनमान में निर्धारित वेतन लाभ का सुगमता नहीं दिया गया है। ज्ञात है कि मैं कालान्तर से 9 वर्ष तक पीड़ित रहा हूँ तथा मैंने अनेक (हफ्ते के अर्थात्) गैर होकर ठहरा है इसका जही होने के कारण अन्य संबंधित विचारों से घोर अघा है।

सरकारी निपटानुसार सेवानिवृत्ति तारीख के एक माह के अन्दर सभी तरह के दैनिक पत्रों का निवेदन करने का प्रयास है। किन्तु निपटों के अज्ञेयता के कारण नहीं है। जिस कारण गैर स्वाम्य एक अग्रणी परिकर देना दुर्लभ नरह प्रभावित हो गए हैं।

जहाँ भी जात है कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद संबंधित कार्यालय कार्य के अन्य कार्य का प्रभाव होता हुआ है अतः को धुली का खारा प्रति वसि कावत समझा किना जाया है।

अतः सविनय अनुरोध करना है कि मेरा उपरोक्त लक्ष्य का सुगमता तथा शीघ्र करी को हुआ की जाय इसके लिए आवदीय का सर्वेक आगरी रहेंगा।

4141
18.4.12
उपरोक्त - हस्ताक्षरों का
विषय रूप में

विश्वास गानन
पुनरीक्षण
17-04-09
पुलकित 6152
सं. नि. 30 व 31
डी.पी. अधिकारी कुमारगढ़
नाम - देवनाथपुर
पै. - देवनाथपुर
गा. - विद्यार्थी
जा. - गणपुर

मोबाइल नं. 9955872092
9570447127
2012/11 42 48 34 819
मा. 2012 2012 2012 2012

17

5- अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में सरकारी सेवा में नियुक्त पैक्स प्रबंधकों को उनके पैक्स प्रबंधक के रूप में की गयी सेवा का लाभ देते हुए नियुक्त संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को बीच-बचीयता निर्धारण हेतु तर्कसंगत शर्तें लगाने पर विचार किया गया । विचारोपरान्त पाया गया कि प्रसंगाधीन मांगला न तो पूर्णतया सीधी भुत्ती का है, न सरकार की एक सेवा/संवर्ग से दूसरी सेवा/संवर्ग में अंतरण का, न ही नियमितिकरण का, बल्कि मांगला विशेष परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्ति है । फिर भी वर्धित परिस्थिति में सरकार द्वारा अस्वाभाविक रूप पैक्स प्रबंधक के रूप में की गयी पूर्व सेवा का लाभ कंडिका-6 में उल्लिखित रूप से

करीब 805 दिनांक 08/03/2000 की कंडिका-9 में पैक्स प्रबंधकों की स्वीयता उनके द्वारा की गयी शीघ्रता प्रतिक्रिया परीक्षाओं के आधार पर लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित गेना सूची में प्राप्त स्थान को अनुसार करने के शर्त को विलोपित करने का निर्णय लिया है ।

6- सरकारी सेवा में नियुक्त पैक्स प्रबंधकों द्वारा पैक्स प्रबंधकों के रूप में की गयी प्रत्येक मौजूद वर्गों की सेवा की गुणवत्ता सरकारी सेवा संवर्ग में उनकी वरीयता निर्धारण के प्रयोजनार्थ एक वर्ष के रूप में की जाएगी और तदनुसार उस सेवा संवर्ग में उनकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाये ।

बिहार राजपत्र के आदेश से,
(Signature)
अतिरिक्त सचिव

सरकार के सचिव
सहायक विभाग, बिहार, पटना

1235
डा.पांक 1235 पटना, दिनांक 26-02-04

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

2- उनसे अनुरोध है कि मुद्रित संकल्प की सौ प्रतियाँ, निबंधन, सहायोग समितियों, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

(Signature)
सरकार के सचिव
सहायक विभाग, बिहार, पटना

1235
डा.पांक 1235 पटना, दिनांक 26-02-04
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त/पिता आयुक्त/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमद्वय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निबंधक, सहायोग समितियों, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(Signature)
सरकार के सचिव
सहायक विभाग, बिहार, पटना